16/2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA DICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 816730

न्यासी विलेख(Instrument of Trust)

"राधिका देवी ,लालबिहारी तिवारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान"

दिनांक 11.12.2014

यह न्यास विलेख लाल बिहारी तिवारी पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी ग्राम वीरभानपुर पोस्ट व तहसील मेंहनगर,जनपद आजमगढ़ द्वारा घोषित किया गया है। हम मुकिर समाज के आर्थिक ,सामाजिक,सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति ,आपसी सदभाव व विश्राम सदाचार,शिक्षा,स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन,शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा ,साम्प्रदायिकता ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग–भेद ,जाति–पाति ,छुआ–छूत ,ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 2000/– (दो हजार रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी

क्रमशः 2

लाल बिहारी तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 816731

निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रुपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **राधिका देवी ,लालबिहारी तिवारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान** जो इस न्यास विलेख में आगे "संस्थान" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय ग्राम वीरभानपुर,पोस्ट/ तहसील– मेंहनगर,जनपद आजमगढ़ होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगें। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रुप में कार्य करने को सहमत है। इस न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 1 या 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टीयों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी मुख्य न्यासी को संयुक्त रुप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वार न्यासी के रुप में नामित न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल के व्यक्तियों के पद एवं अन्य विवरण निम्नलिखित है।

क्रमशः 3

1. श्री लाल बिहारी तिवारी पुत्र (चेयरमैन/अध्यक्ष) पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी ग्राम–वीरभानपुर पोस्ट/तहसील मेंहनगर,जनपद–आजमगढ़,उ0प्र0।

2. श्रीमती राधिका तिवारी (मुख्य न्यासी/प्रबन्धक) पत्नी श्री लाल बिहारी तिवारी ग्राम–वीरभानपुर पोस्ट/तहसील मेंहनगर,जनपद–आजमगढ़,उ0प्र0।

3. श्री विष्णुदत्त तिवारी (कोषाध्यक्ष) पुत्र श्री लाल बिहारी तिवारी ग्राम–वीरभानपुर पोस्ट/तहसील मेंहनगर,जनपद–आजमगढ़,उ0प्र0।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "**राधिका देवी ,लालबिहारी तिवारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान" /ट्रस्ट**" के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना व "**राधिका देवी,लालबिहारी तिवारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान / "ट्रस्ट"** के समस्त उद्देश्यों का कियान्वयन करना।

2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।

3. नवयुवक,नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू0हा0स्कूल,हा0स्कूल,इण्टरमीडिएट व स्नातक ,स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों,शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों ,विश्वविद्यालयों ,वैद्यकीय महाविद्यालय,टेक्निकल कालेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना,विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनके सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई–चारा ,साम्प्रदायिक ताल–मेल ,राष्ट्रभक्ति,राष्ट्रीय एकता,राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. न्याय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों ,परिनियमावलीय के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रशासन योजना के

क्रमशः 4

अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अन्तर्गत नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. लिंग भेद ,जाति–पाति ,छुआ–छूत ,ऊँच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय ,वैद्यकीय,महाविद्यालय स्थापित करना।

9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर ,नर्सरी ,प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा शिक्षार्थियों के अत्याधुनिक सुविधा हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल,इंजीनियर,पालिटेक्निक,बैंक, पी0सी0एफ0,आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालीटेक्निक ,इंजीनियर ,फार्मेसी ,मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनु0जाति,अनु0जन0जाति ,पिछड़े एवं कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोंचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई,कढ़ाई,बुनाई,पेंटिंग ,स्क्रीन ,इलेक्ट्रानिक वायर मैन,डीजल एवं मोटर मकेनिक,रेडियों एवं टी0वी0 ट्रेनिंग,टाईपिस्ट,शार्टहैण्ड,कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जेसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष पुस्तकालय ,अध्ययन कक्ष,छात्रावास,भोजन ,वस्त्र दवा,यातायात ,खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे–जैम,जैली,मुरब्बा,आचार,कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

क्रमशः 5

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे–हैण्डी कापट,सांस्कृतिक कार्यकम,कुकिंग कला,निबन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

कमशः 5

16 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।

17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को कियान्वित करना जैसे–गुंगे बहरे,अंधो,अपंग एवं मानसिक रुप से कमजोर बच्चों युवओं एवं अनुसूचित जनजाति /पिछडे वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित ,अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।

18. बृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन ,पढने,लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।

19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।

20. सामुदायिक विकास कार्यकम को बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र ,बरात घर,धर्मशाला,सुलभ ,शौचालय ,चिकित्साघर,पुस्तकालय,खेल मैदान,योगा प्रशिक्षण केन्द्र,आंगनबाड़ी,बालबाड़ी,ड्रामा स्टेज ,प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना,वृक्षारोपण,औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।

22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना यथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

कमशः 6

24. संस्था के उददेश्यों की पूर्ति के लिए भूमि,मकान,तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये पर या लीज पर लेन–देन करना,मार्गेज करना, या मकान अथवा विद्यालय/महाविद्यालय भवन बनवाना आदि।

25. विभिन्न प्रकार के कार्यकमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना ,जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0 ,नेहरू युवा केन्द्र ,समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

26 घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निभ्रर बनाने के लिए डेयरी उद्योग ,रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन,मुर्गी पालन ,बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम ,टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक /प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

27 बीड़ी ,सिगरेट,तम्बाकू ,पान मसाला ,गांजा,भाग ,स्मैक ,एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे–अन्धविश्वास,बाल विवाह ,दहेज प्रथा ,बाल शोषण ,बाल श्रम,महिला शोषण ,लिंग भेद ,अस्पृश्यता जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योगा,जिम्नास्टिक,जूडो,कराटे ,कबड्डी, तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खोलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

30. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा ,बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण ,जागरूकता /प्रशिक्षण /कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

31. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/कीट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

32. एड्स ,कैन्सर,टी0वी0, कोढ,मलेरिया,पोलियो,हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता /उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज, एवं अन्य चिकित्सकीय

कमशः 7

/पैरामेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

33. ग्रामीण,शहरी, क्षेत्रों में भिखारियों,झुग्गी–झोपडी एवं मलिन बस्तियों मे रहने वाले व्यक्तियों को आवास,भोजन,पेयजल,स्वास्थ्य,प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

34. सरकार की सहायता से गॉवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल ,शौचालय नाली,सडक निर्माण ,खडंजा ,पीच ,पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

35 प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा,प्लेग,भूखमरी,बाढ,आग,सूखा,अकाल,चकवात,भूकम्प,दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गॉव व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहिचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शमिल हे।

36. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना। गोवंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का अयोजन करना।

37. तत्काल सुविधा पहुॅचाने हेतु सडक/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों ,गर्भवती महिलाओं ,बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुॅचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/बैंक की व्यवस्था करना।

38 उन समस्त योजनाओं को कियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनकों विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चालाया जा रहा है।

39 गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी ,सामाजिक ,आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

40. किसी एन0जी0ओ0 द्वार दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

कमशः 8

41. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य,डाटा कलेक्शन,जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट,पोस्टर,बैनर,श्रव्य दृश्य कैसेट,कठपुतली,सामग्री,डाक्यूमेंट्री एवं नुक्कड –नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है,जिससे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

42. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 ,एसोसिएशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके किया–कलापों में सहयोग देना जिनके उददेश्य इस संस्था से मिलते हो।।

43. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन,ग्राण्ट,गिफ्ट,चल एवं अचल सम्मिलित है।

44. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

45. संस्था उद्देशय की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके किया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

46. सरकारी ,अर्द्धसरकारी अथवा गैरसरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

47. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

48. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् /बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

49. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

50. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

51. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

कमशः 9

लालजिह्वा श्री तिवारी

52. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

53. उपरोक्त नियम/प्रतिबन्ध क0 सं0 47 से 52 तक में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

5. न्यास /ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः –

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।

3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुचारू रुप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियम को बनाना।

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रुप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु दान,चन्दा इत्यादि एकत्रित करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयाँ गठित करना जो मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के अधीन होगा।

5. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए शिक्षार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के सम्बन्ध में गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के अधीन होगा।

8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं ,विद्यालयों शिक्षण केन्द्रों ,चिकित्सालयों,शोध केन्द्रों ,गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना तथा उसे कार्यान्वित करना।

9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में

कमशः 10

व्यक्तियों, संस्थाओं,सरकारी,अर्द्धसरकारी,गैरसरकारी,विभागों में दान उपहार,अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पतियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठयक्रम का संचालन न्यास/ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं को सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार सक्षम प्राधिकारी /कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6. न्यास /ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्थाः–

(क) न्यास का गठन एवं संचालन– न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रुप से किया जायेगा।

1. न्यास के मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर लाल बिहारी पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी मुख्य न्यासी/प्रबन्धक होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के नस्ल बसनल ही इस ट्रस्टी के आजीवन सदस्य होंगे।

2. मुख्य न्यासी/प्रबन्धक की अनुपस्थिति ,बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के रुप में कार्य करने के लिए पूर्ण अधिकृत होगा।

3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीकरण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास/ट्रस्ट मण्डल में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे। 1. चेयरमैन, 2 प्रबन्धक,3. कोषाध्यक्ष के रुप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलत आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

क्रमशः 11

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी। यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी है तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैसी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्या समें सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रुप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा।

5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देयों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रुप में संयोजित कर लिया जायेगा और उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि ,विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्धक व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तराधिकार नहीं होगा बल्कि न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) न्याय/ट्रस्ट मण्डल की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशनः–

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 1 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के किया –कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर

कमशः 12

विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

3. न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होगी तथा आवश्यकतानुसार कम व ज्यादा हो सकती है।

(ग) न्यास/ट्रस्ट मण्डल के न्यास विलेख के नियम एवं उप नियम में संशोधन प्रकिया–

न्यास/ट्रस्ट मण्डल में बहुमत के आधार पर संस्था के हित में न्यास/ट्रस्ट के न्यास विलेख के नियम एवं उपनियम में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

7. मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य–

– इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रुप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में कार्य करना।

– न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

– न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

–न्यास की बैठक को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।

– न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के स मक्ष रखना।

– न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

– न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

– इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्रू अधिकारियों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रुप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।

– न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

– न्यास के आय–व्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

कमशः 13

– न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखा का सुचारू रुप से रख–रखाव करना।

8. न्यास के कोष की व्यवस्थाः–

न्यास के कोष को सुचारू रुप से रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों व ऋण राशियॉ निहित होगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रुप से किया जायेगा।

9. न्यास के अभिलेख–

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रुप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर ,समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्थाः–

1. मुख्य न्यासी /प्रबन्धक के सम्पत्ति की व्यवस्था एवं रख–रखाव स्वयं करें या जिस न्यासी को अधिकृत करेगा वह न्यास की सम्पत्ति का रख–रखाव कर सकता है।

2. यह कि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का कय एवं विकय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

3. न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

4. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुयपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा।

5. न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही का अपील न्यास मण्डल के समक्ष की जायेगी। न्यास मण्डल के आदेश से सन्तुष्ट न होने की दशा में समुचित न्यायालय में अपील कर सकता है।

6. न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था दैनिक प्रशासन एवं

कमशः 14

लालबिहारी तिवारी

रख–रखाव मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के अधीन रहेगा अन्तिम निर्णय होने तक।

7. संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं,विद्यालय/महाविद्यालय आदि की समितियों में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य न्यासी/प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा कि वे ऐसी उपसमितियों/समितियों को भंग कर सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं ,विद्यालय एवं महाविद्यालय को दैनिक प्रशासन एवं सम्पत्ति का रख–रखाव मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के अधीन होगा अन्तिम निर्णय होने तक।

8. न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी/प्रबन्धक द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

9. न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्रास के नाम से कियाजायेगा। जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

10. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

– न्यास मण्डल ,न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

– न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होंगे।

घोषणा–पत्र

"राधिका देवी ,लालबिहारी तिवारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान" की तरफ से हम लाल बिहारी तिवारी मुख्य न्यासी/प्रबन्धक के रुप में हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास विलेख लिखकर ,पढ़ व समझकर स्वस्थ्य मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास विलेख को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरुप संचालन हो सके।

कमशः 15

लालबिहारी तिवारी

लेख 829 / कीमत 500/- दिनांक 11/12/14 शिक्षण स्वप्रशिक्षण —
नाम राधिका देवी लाल बिहारी तिवारी शिक्षण स्वप्रशिक्षण संस्थान बरिकापुर मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा प्रबन्धक —
लाल बिहारी तिवारी s/o स्व० हरिहर तिवारी म० बरिकापुर
मनोज कुमार ... 10.25 पूर्वाह्न बाद तथा ... आजमगढ़

मनोज कुमार तिवारी

निष्पादित
... 2000

100+50 : 150/- 18000

लाल बिहारी तिवारी पुत्र श्री स्व० हरिहर तिवारी
पेशा ... निवासी बरिकापुर
जिला आजमगढ़ 17/12/14
तह० मेंहनगर
कार्यालय उपनिबन्धक मेंहनगर
समय मध्य 3/4

उपनिबन्धक
मेंहनगर, आजमगढ़ 17/12/14

उक्त लेखपत्र के निष्पादन को ... लाल बिहारी तिवारी ने स्वीकार किया

लाल बिहारी

रामनारायन तिवारी पुत्र जनार्दन तिवारी
जिनकी पहचान श्री ... निवासी बरिकापुर
पेशा ... जिला आजमगढ़ व श्री स्व० ... सिंह ...
तह० मेंहनगर ने की।

मेंहनगर

उपनिबन्धक
मेंहनगर, आजमगढ़
17/12/14

लाल बिहारी — रामनारायन तिवारी — अशोक कुमार सिंह ...

साक्षी सज्जन प्रतीत होते हैं।
चिन्ह अंगुष्ठ नियमानुसार लिए गये हैं।
उप निबन्धक
17/12/14 मेंहनगर, आजमगढ़

कोषागार कार्यालय
05 DEC 2014
आजमगढ़

बही सं० १ जिल्द बुक सं० ......6...... के पृष्ठ
नक्शा फ़ाइल बुक सं०
351/3020 में नम्बर......16......पर आज दि० 12-12-14
को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उपनिबंधक
[illegible]

3(15/019

1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 889725

1005

1. किस्म विलेख- पुरकदस्तावेज, स्टाम्प 1000)

हमकि विष्णुदत्त तिवारी पुत्र स्व० लालबिहारी तिवारी सा० बिरमानपुर मेहनगर आजमगढ़

विदित हो कि मेरे पिता लालबिहारी तिवारी पुत्र

एवं हीरा तिवारी साकिन बिरमानपुर परगना बेला

दौलताबाद तहसील मेहनगर जिला आजमगढ़ ने

एक किता नाम लिखवाया है जिसकी रजिस्ट्री

Vishnu Dutt Tiwari

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA

FC 481519

बही नं 1 जिल्द 0 पृष्ठ संख्या 3 के क्रम 3481/3 20 501'93

पर दिनांक 12-12-98 को रजिस्ट्री की गयी है

उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के नामित को पिता की

मृत्यु हो चुकी है कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव

पास कर श्री विष्णुदत्त तिवारी पुत्र लालबिहारी तिवारी

प्रबन्धक नियुक्त हो चुके हैं [illegible]

Vishnu Dutt Tiwari

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. **नाम** : कैलाशपति तिवारी पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी

पता– ग्राम–वीरभानपुर,पो0 तहसील–मेंहनगर

तहसील–मेंहनगर,जनपद–आजमगढ़।

2. नाम : स्वामी विवेकानन्द तिवारी

पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी

पता–ग्राम –वीरभानपुर पोस्ट–मेंहनगर

थाना व तह0–मेंहनगर,आजमगढ।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

लाल बिहारी तिवारी

टंकणकर्ता: विजय कुमारप्रजापति

मसविदाकर्ता :